न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर. ए. एस., प्रथम लिंक अधिकारी

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./114/2022/बाड़मेर

अपीलान्टगण:–

1. पूनमाराम पुत्र हरसिंगाराम
2. भाखराराम पुत्र हरसिंगाराम, जाति विश्नोई, निवासी उपरला, तहसील चौहटन जिला बाडमेर

बनाम

उतरदातागण–

1. रामलाल पुत्र बाबू, जाति विश्नोई
2. खरथाराम पुत्र गुटाराम फौत के कायम मुकाम

2/1. देरामाराम पुत्र खरथाराम

2/2. दुर्गाराम पुत्र खरथाराम

2/3. हरूराम पुत्र खरथाराम

2/4. खेमाराम पुत्र खरथाराम

2/5. शांति पुत्री खरथाराम

2/6. इमरती पुत्री खरथाराम

2/7 पेम्पी पुत्री खरथाराम

3. उदाराम पुत्र गुटाराम
4. भैराराम पुत्र बादराराम
5. प्रहलादराम पुत्र मालाराम फौत के कायम मुकाम–

5/1. भैराराम पुत्र प्रहलादराम

5/2. गोरधनराम पुत्र प्रहलादराम

6. लाखाराम पुत्र मालाराम फौत के कायम मुकाम–

6/1. जुगताराम पुत्र लाखाराम

6/2. गंगा पत्नी लाखाराम

6/3. चनणी पत्नी लाखाराम

7. कबीराराम पुत्र धर्माराम फौत के कायम मुकाम–

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

7/1. लालाराम पुत्र कबीरा

7/2. खुमाराम पुत्र मोटाराम

7/3. ओमाराम पुत्र मोटाराम

7/4. झमूदेवी पत्नी मोटाराम

उतरदाता संख्या 7/2 व 7/3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता विप्रार्थी संख्या 7/4 झमूदेवी पत्नी मोटाराम

8. लिखमाराम पुत्र पूनमाराम फौत के कायम मुकाम–

8/1. गोमाराम पुत्र लिखमाराम

9. धारूराम पुत्र पूनमाराम, जातियान मेघवाल

10. रामचन्द्र पुत्र हरसिंगाराम फौत के कायम मुकाम–

10/1. किशनाराम पुत्र रामचन्द्र

10/2 इन्द्रा पुत्री रामचन्द्र

10/3 मोहनी पुत्री रामचन्द्र

11. किशनाराम पुत्र कानाराम

12. भगवानाराम पुत्र कानाराम, जातियान विश्नोई, समस्त निवासी उपरला, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर

13. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई, शाखा चौहटन

14. तहसीलदार चौहटन, जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 141/2024 बअनवान रामलाल बनाम खरथाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 22.04.2022 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थितः–

1. वकील श्री लाधुराम पुनिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री विष्णु चौधरी रेस्पों. संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पों बावजूद सूचना अनुपस्थित

–:निर्णयः–

दिनांकः–01.04.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 (प्रार्थी) ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 64 रकबा 216.02 बीघा मौजा उपरला तहसील चौहटन जिला बाडमेर में अवस्थित है। विप्रार्थीगण/अपीलांट का खातेदारी खेत खसरा संख्या 84, 83 व 537/82 प्रार्थी के खेत व सड़क के मध्य में अवस्थित है। प्रार्थी को अपने खेत से सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ–साथ कदीमी रास्ते की भी काश्त कर लेते हैं जिससे प्रार्थी का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। उक्त विप्रार्थीगण के खेत में से चलने वाला रास्ता प्रार्थी के खेत तक आवागमन के लिये इकलौता विकल्प है जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। इसी रास्ते से होकर हमारे खेत तक आ जा सकते हैं जिसका उपयोग–उपभोग हम कई वर्षों से लगातार रास्ते के रूप में लेते आ रहे हैं। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बहस करते हुए निवेदन किया कि उतरदाता संख्या 01 (प्रार्थी) ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 64 रकबा 216.02 बीघा मौजा उपरला तहसील चौहटन जिला बाडमेर में अवस्थित है। विप्रार्थीगण/अपीलांट का खातेदारी खेत खसरा संख्या 84, 83 व 537/82 प्रार्थी के खेत व सड़क के मध्य में अवस्थित है। जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर नहीं जाकर हल्का पटवारी व आर.आई. द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई है जिसमें अपीलांट या किसी पड़ोसियान व मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं हैं। मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में रेस्पों. संख्या 1 (प्रार्थी) के दबाव में रहते हुए तैयार की गई है। अपीलांट के खसरा नम्बर 83 में से 01.05 बीघा भूमि पर अपीलाधीन रास्ता दिया है जो न्यायोचित नहीं है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 83 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बीचोबीच से रास्ता निकालते हुऐ खसर नम्बर 83 के दो टुकडे किये गये है तथा उतरदाता संख्या 1 के द्वारा अपीलान्टगण के खेत के मध्य में से रास्ता चाहा गया है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश से अपीलान्ट को अपूरणीय क्षति कारित हुई है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए (1) द्वारा यह स्थापित किया है कि किसी भी पक्षकार को बिना क्षति कारित करते हुऐ दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुऐ रास्ता निकाला जाना चाहिये ताकि मौके पर किसी प्रकार का विवाद न बढे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए रास्ता स्वीकृत कर दिया है जो कतई विधि संगत नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अनुसार पूर्व से प्रयोग में लिये जा रहे कदीमी रास्ते को ही स्वीकृत किया जाता है, जबकि हस्तगत प्रकरण में इसके उलट है। प्रस्तावित रास्ते की जगह पहले से कोई रास्ता चलायमान नहीं है।

अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बरं 64 के प्रस्तावित रास्ते से दूसरी तरफ कम दूरी पर रास्ता उपलब्ध है जहां से वर्तमान में प्रार्थी आ जा रहा है तथा रास्ते का उपयोग कर रहा है परन्तु प्रार्थी द्वारा कम दूरी पर रास्ता नहीं प्राप्त कर उससे अधिक दूरी से रास्ता चाहा गया है जो जो कतई विधि सम्मत नहीं है फिर भी विधि के नियमों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिस कारण से अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए दूषित मंशा से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स व राजस्व कर्मचारियों के मध्य अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध दुरभि संधि कर अपीलांट को नाहक नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपीलाधीन आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उतरदाता संख्या 01 (प्रार्थी) ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 64 रकबा 216.02 बीघा मौजा उपरला तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

चौहटन जिला बाडमेर में अवस्थित है। विप्रार्थीगण/अपीलांट का खातेदारी खेत खसरा संख्या 84, 83 व 537/82 प्रार्थी के खेत व सड़क के मध्य में अवस्थित है। रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाद तलबी अपीलांट्स उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित की गई। इसके बाद उपस्थित उभयपक्ष की बहस वाद संबधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। बाद रिपोर्ट प्राप्ति के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि संगत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो उभयपक्ष को सुनने के बाद गुणावगुण पर पारित किया गया है। मौका रिपोर्ट के दिन अपीलांट्स मौके पर उपस्थित थे किन्तु जानबूझकर हस्ताक्षर नहीं किये, जिससे अपीलांट की मौका रिपोर्ट के संबंध में उक्त उज्र का कोई सार नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अज अदालत के समक्ष पेश कर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिसकी आड़ में अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित रास्ते की भूमि पर अपीलांट द्वारा लगातार कब्जा किया जाकर रास्ते को अवरूद्ध किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना में रेस्पों. द्वारा मुआवजा राशि जमा करवा दी गई है। अपीलांट द्वारा हस्तगत रास्ता नहीं देने की नियत से हस्तगत अपील पेश की गई है। जो न्याय संगत नहीं है। उक्तानुसार रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को सुने बिना ही पारित किया गया जिससे निर्णय की जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। अरसा 15 दिन पूर्व प्रार्थी (उतरदाता संख्या 1 व 2) अपने साथ हल्का पटवारी को लेकर मौके पर आकर अपीलान्टगण के कब्जे काश्त के खेत में से जबरन बाड़ आदि तोडकर रास्ता निकालने हेतु प्रयासरत हुआ, जिस पर अपीलान्टगण व उसके परिवार वालों ने मना किया तो उतरदाता संख्या 1 ने धमकी दी कि हमने आपके खेत में से कोर्ट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जरिये रास्ता निकाल लिया है तथा अब मौके पर रास्ता निकालेगें जिस पर अपीलान्टगण को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो उसने हल्का पटवारी से पूछताछ की तो हल्का पटवारी ने समस्त तथ्यों से अवगत करवाया, जिस पर अपीलान्ट ने उक्त आदेश की नकल दिनांक 31.05. 2022 को अधिनस्थ न्यायालय से नकले प्राप्त की तो सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्‌भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्‌भाविक नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक-एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया प्रतीत होता है। अपीलांट बावजूद सम्मन तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उपस्थित उभयपक्ष की सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि "खसरा संख्या 83 व खसरा संख्या 84 के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिये उक्त रास्ता घोषित किया जाता है।" साथ ही हस्तगत वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 83 के संयुक्त खातेदार रेस्पों. संख्या 10 रामचन्द पुत्र हरसिंगाराम द्वारा जरिये वकील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रश्नगत प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 83 जो मेरें स्वयं की संयुक्त खातेदारी आराजी है उसमें से मेरे व्यक्तिगत हिस्से में से रास्ता देने हेतु सहमत हूं। उक्त निवेदन को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रश्नगत रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है। अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत हैं जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपत्ति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से दिया गया रास्ता विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 162/2021 बअनवान रामलाल बनाम खरथाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 22.04.2022 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
प्रथम लिपिक अधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 01.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर